न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 345/2024

अनवान : –

1. मोहन लाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. भादरराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
2. निराणी देवी पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
3. लिछमा पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
4. संतोष पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री हरकोरी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
6. इन्दिरा पुत्री हरकोरी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
7. अरविन्द सारण पुत्र हरकोरी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
8. भूपसिंह पुत्र मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
9. सुखी पुत्री मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
10. राकेश कुमार पुत्र मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
11. भंवरी पुत्री मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीया** पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 15/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 131/128 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 16.7180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 165/135 के खसरा नं. 102 की कुल तादादी 7. 4860 है0 भूमि में से 1/3 भूमि वादी की माता मृतका मुली पत्नी किशनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता मूली पत्नी किशनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी की माता मुली पत्नी किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसक वारिस भादरराम (पुत्र), मोहनलाल (पुत्र) निराणी देवी (पुत्री), लिछमा (पुत्री), संतोष (पुत्री), हरकोरी (पुत्री), मनसी देवी (पुत्री) हुए जिनमें हरकोरी पुत्री किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है तथा मनसी देवी पुत्री किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 है। मूली पत्नी किशनराम के [illegible] दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की [illegible] हक हिस्सा के [illegible] उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 ता 11 जो वादी की मृतक बहिनो के वारिस है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण मूली देवी, शपथ पत्र बाबत आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता मूली देवी पत्नी किशनाराम के नाम दर्ज है। वादी की माता मूली देवी पत्नी किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा मूली देवी पत्नी किशनाराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है [illegible] संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवे[illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यह[illegible] को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 131/128 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 16.7180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 165/135 के खसरा नं. 102 की कुल तादादी 7.4860 है0 भूमि में से 1/3 भूमि वादी की माता मृतका मुली पत्नी किशनाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता मूली देवी पत्नी किशनाराम के नाम दर्ज है। वादी की माता मूली देवी पत्नी किशनाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा मूली देवी पत्नी किशनाराम के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक मूली देवी पत्नी किशनाराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 131/128 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 16.7180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 165/135 के खसरा नं. 102 की कुल तादादी 7.4860 है0 भूमि में से 1/3 भूमि उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में मृतका मुली पत्नी किशनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.05.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:33 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 345 / 2024
अनवान : –

1. मोहन लाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. भादरराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
2. निराणी देवी पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
3. लिछमा पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
4. संतोष पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री हरकोरी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
6. इन्दिरा पुत्री हरकोरी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
7. अरविन्द सारण पुत्र हरकोरी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
8. भूपसिंह पुत्र मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
9. सुखी पुत्री मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
10. राकेश कुमार पुत्र मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
11. भंवरी पुत्री मनसी देवी जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर ।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 345 सन 2024 निर्णय दिनांक – 15/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 131/128 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 16.7180 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बालासर तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 165/135 के खसरा नं. 102 की कुल तादादी 7.4860 है0 भूमि में से 1/3 भूमि उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में मृतका मुली पत्नी किशनाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:33 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर